

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक ११३ / जे.डी.ए.-शमन तल.मान.-(2022-2023)

दिनांक १५.०५.२०२२

श्री विक्रम: उज्जैनी ग्रीन

श्री रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री सुम्मेर, झाँसी

निवासी-विजन हाईट्स सिटी के सामने

आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल मौजा-लहरगिर्द के आराजी संख्या-152मि. झाँसी पर प्रस्तुत शमन तलपट मानचित्र वाद संख्या-18/उपाध्यक्ष/जे.डी.ए./2022-23 शमन तलपट मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 एवं 32 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा एवं किसी भी प्रकार के बड़े हुये शुल्क की मांग प्राधिकरण द्वारा की जाती है तो उसे जमा कराना होगा अन्यथा तलपट मानचित्र निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
5. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
8. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
9. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
10. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
11. प्रस्तुत विभिन्न सरकारी विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे-जल संस्थान, नगर निगम, विद्युत, पर्यावरण एवं तहसील द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। रेन वाटर हार्सेविंग उचित क्षमता का प्रमाणित कर लगाना होगा। पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सम्पूर्ण विकास हो जाने के उपरान्त पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
13. पर्यावरण एवं विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
13. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-
 - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
 - समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
 - विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर शमन स्वीकृति प्रदान की गयी है अभिलेख गलत पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
15. विभिन्न शुल्कों के मद में बन्धक रखे तल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में झाँसी विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता के मध्य हुये एग्रीमेन्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत अभिलेख असत्य या झूठे पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
17. भूखण्ड से संलग्न सरकारी सम्पत्ति यथा चकरोड, नाली व अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति के किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
19. झाँसी विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता के मध्य हुये एग्रीमेन्ट में दी गयी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
20. भविष्य में रेरा द्वारा दी गयी आपत्तियों का निस्तारण विकासकर्ता को स्वयं करना होगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियंताको प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23.5.22
सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी